सं0सं0–9/आ0–2–52/2004

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

सिविल सर्जन गया के पत्रांक 491 दिनांक 17.02.04 द्वारा प्रतिवेदित है कि डा0 नवीन कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बाराचट्टी, गया अपने पदस्थापित स्थान से दिनांक 25.08.02 से ही अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है। इस आरोप के लिए उनके विरूद्ध संकल्प ज्ञापांक 1793(9) दिनांक 09.10.04 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. संचालन पदाधिकारी ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर समर्पित अधिगम में आरोप को प्रमाणित पाया।

3. प्रमाणित आरोपों के आधार पर विभागीय पत्रांक 440(9) दिनांक 2.4.05 द्वारा सूचना प्रकाशित कर डा0 नवीन कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी, जिसके आलोक में डा0 कुमार ने विभाग में उपस्थित होकर अधिगम की प्रति प्राप्त किया, किन्तु उसके पश्चात् भी उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। इससे स्पष्ट है कि डा0 नवीन कुमार, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाराचट्टी, गया अनाधिकृत अनुपस्थिति, अनुशासनहीनता एवं मनमाने आचरण के दोषी है। मामले की सम्यक विचारोपरांत डा0 नवीन कुमार को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया।

4. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अपने पत्रांक 78 दिनांक 15.4.06 (प्रतिलिपि संलग्न) (परिशिष्ट–I) द्वारा डा0 नवीन कुमार को सेवा से सेवाच्यूत (Removal From Service) करने का परामर्श दिया गया। किन्तु इससे असहमत होते हुए सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से डा0 कुमार को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया।

अतः डा0 नवीन कुमार चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाराचट्टी गया संप्रति चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महनार, वैशाली को सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

आदेश :– संकल्प की प्रति डा0 नवीन कुमार एवं सभी संबंधितों को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः 1013 (9) /स्वा0, पटना, दिनांकः 03/10/2016

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार पटना/अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी गया/क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें मगध प्रमंडल गया/सिविल सर्जन गया /संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा0 नवीन कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बाराचट्टी, गया प्रा0 स्वा0 केन्द्र, महनार, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव बिहार लोक सेवा आयोग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 2,3,5,7,8,10,11,12,17 एवं 18 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

\weta\Section-9-01-11-12\SWETA SHARMA 2016\Sankalp 2016.docx